

# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अप्रैल, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देशों/प्रक्रिया को इस विभाग के दिनांक 28.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 372/7/2016-एवीडी-III द्वारा जारी किया गया।
2. इस विभाग में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और इस विभाग के कार्मिकों में जागरूकता लाने के लिए, सी.एस.ओ.आई, नई दिल्ली में दिनांक 27.04.2017 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
3. इस विभाग के दिनांक 17.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/3/2016-स्था.(क-IV) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राजधानी/शताब्दी/दुरन्तों ट्रेनों में लागू फ्लेक्सी फेयर (डाइनामिक फेयर) इन ट्रेनों द्वारा एलटीसी पर की गई यात्रा (यात्राओं) के लिए मान्य होगा। यह डाइनामिक फेयर घटक ऐसे मामलों में मान्य नहीं होगा जहां एक गैर-हकदार सरकारी सेवक हवाई जहाज से यात्रा कर राजधानी/शताब्दी/दुरन्तों ट्रेनों की हकदार श्रेणी के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करें। ऐसे सरकारी सेवकों को डाइनामिक फेयर घटक को घटाने के पश्चात् ही किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह निर्णय 09.09.2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा अर्थात् उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को रेल मंत्रालय द्वारा फ्लेक्सी किराया प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
4. इस विभाग के दिनांक 05.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/6/2016-जेसीए-2 द्वारा पूरे भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर 14 अप्रैल, 2017 (शुक्रवार) को बन्द अवकाश के रूप में घोषित किया गया था।

5. केंद्रीय सि वि ल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीडा बोर्ड ग्रीष्म अवकाश अर्थात् 15 मई, 2017 से 15 जून, 2017 के दौरान केंद्र सरकार के कार्मिकों के 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों/आश्रितों के लिए एकोचिंग सि वि र का आयोजन कर रहा है। खेल संबंधी ब्यौरे दि नांक 10.04.2017 के परि पत्र सं. 7/6/2016-17-सीसीएससीएसबी द्वारा परि चालित किए गए थे।
6. मंत्रि मंडलीय नियुक्ति समिति 'एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 01 सीएमडी/एमडी और 03 कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की नौ (09) नियुक्तियाँ, स्वायत्तशासी नि कार्यों में मुख्य कार्यपालकों की तीन (03) नियुक्तियाँ, चार (04) समय-पूर्व प्रत्यावर्तन और छह (06) कार्यकाल विस्तारों का एसीसी द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से रेल भवन, नई दिल्ली में 27.04.2017 को रक्तदान सि वि र का आयोजन किया गया और इस सि वि र में 101 कार्मिकों ने रक्तदान किया।
8. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों ने दि नांक 27.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8/20/2014-सीएस.॥(ग) द्वारा मंत्रियों के निजी स्टाफ में गैर सरकारी अधिकारियों (निजी सचिवों और विशेष कार्य अधिकारी (डीएस)/निदेशक स्तर) को छोड़कर की एन्टी-तारीख नियुक्ति को प्राधिकृत किया है।
9. आईएसटीएम में 02 सीएसएस-सीटीपी कार्यक्रमों सहित कुल 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इन कार्यक्रमों में 425 लोगों ने भागीदारी की।
10. विभागीय परिषदों के कार्य संचालन संबंधी अनुदेशों को दि नांक 13.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/3/2009-जेसीए द्वारा जारी किया गया है।

11. सीसीएस (आरएसए) नि यमावली, 1993 के अंतर्गत एसोसि एशनों के आवेदनों के समयबद्ध नि पटान और मान्यता प्रदान करने में होने वाले अत्यधि क वि लम्ब संबंधी अनुदेशों को दि नांक 28.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2016-जेसीए (भा) द्वारा जारी कि या गया।